इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मई 2011—वैशाख 12, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-5-56-04-चौदह-3, दिनांक 04 नवम्बर 2010 से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों का सामान्य निर्वाचन दिनांक 07 मई 2011 तक की कालावधि के लिए स्थगित किया गया है. वर्तमान में राज्य शासन एवं मण्डी समितियों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के गेहूं उपार्जन में व्यस्त होने के कारण मण्डी समितियों के सामान्य निर्वाचन निर्धारित अवधि में कराया जाना संभव नहीं है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य की मण्डी समितियों का साधारण निर्वाचन 08 मई 2011 से 07 मई 2012 तक की कालावधि के लिए स्थगित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd May 2011

No. D-5-56-04-XIV-3.—By Notification No. D-5-56-04-XIV-3, dated 04 November, 2010 of the Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department the State Government has postponed the General Election of Market Committees till 07th May, 2011. At present it is not possible to hold the election within the stipulated time period due to involvement of field staff in Rabi procurement.

Therefore, in exercise of the powers conferred under Section 57-A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby postpones the General Election of the Market Committees of the State from 08th May 2011 till the period of 7th May 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.